

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री मंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -

50/2018/प्रार्थना पत्र

तारीख दायर

16.03.2018

तारीख फैसला

13.04.2018

कमलादेवी पत्नि हगामीलाल माली निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां  
- प्रार्थिया

बनाम

- 1- सत्यनारायण पिता लादु माली निवासी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 2- धनराज पिता रतन पाराशर निवासी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 3- गोपी पिता छोगा माली निवासी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 4- नौरत पिता बालु तेली निवासी अरवड़ तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट  
विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है,  
ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के  
खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 28 आ०न० 1377 रकबा  
0.25 है०, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.25 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1  
में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 4 पड़ोसी होने से  
आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद  
करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल  
निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की भूमि क  
चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तल  
किया गया। दिनांक 28.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्म  
बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या  
लगायत 4 के विरुद्ध दिनांक 13.04.2018 को एक तरफा कार्यवाही की ग



Handwritten signature or initials in blue ink.

प्रार्थिया के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 28 आ0न0 1377 रकबा 0.25 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.25 है0 की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 28 आ0न0 1377 रकबा 0.25 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.25 है0 की प्रार्थिया के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां कं 100/- ( अक्षरे एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमीशन नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.04.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-जहानपुर